


समुह या व्यक्तियों के समुह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं किया जावेगा। लेखा प्रेशक्षण प्रति वर्ष कराया जाना चाहिये और चार्टर एकाउन्ट से प्रमाणित कराना चाहिये। और जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजना

21. आपके विद्यालय को आबंटित कोड नम्बर आर. जी. एच/पी.यू/ पी.एस /14. इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में अंकित करे।
22. विद्यालय समय समय पर शिक्षा संचालक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारीयां और प्रतिवेदन प्रदाय करता रहेगा।
23. सोसायटी के पंजीयन का नवीनीकरण आवश्यकतानुसार करना सुनिश्चित करें।
24. विद्यालय का निरीक्षण किसी भी समय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। नियमानुसार विद्यालय का संचालन नहीं करने पर विद्यालय की विभागीय मान्यता/अनुमति समाप्त की जा सकती है।
25. संस्था द्वारा प्रदत्त कोई भी पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी जानकारी गलत पाये जाने पर अथवा उच्च कार्यालय द्वारा किसी भी उचित कारण से संस्था की मान्यता समाप्त की जाती है। तो यह अनुमति आदेश स्वमेव समाप्त माना जावेगा।
26. खेल मैदान के संबंध में आपत्ति होने पर आपके विद्यालय की मान्यता स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

क.	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	माध्यम	कक्षा संचालन हेतु विभागीय अनुमति का विवरण
1	2	3	4	5
1	डी. ए. व्ही स्कूल छाल	धरमजयगढ़	अंग्रेजी	एल.के.जी.से12वीतक का नवीनीकरण मान्यता सत्र 2019-20 हेतु।


27. यू-डाईस नम्बर प्राप्त कर सूचित 7 दिवस के भीतर इस कार्यालय को अवगत करावें।
28. छात्र/छात्राओं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बैंक खाता खोल कर इस कार्यालय को सूचित करें।
29. योग्यतानुसार एवं बी0एड0, डी0एड0 और डी0एल0ई0एड0 प्रशिक्षकों को ही नियुक्त करें।



जिला शिक्षा अधिकारी
रायगढ़

पृ0कमांक/ 3753 /मान्यता/ 2019-20
प्रतिलिपि:-

रायगढ़ दि 28 /06/2019

1. सचिव छ0 ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर को सूचनार्थ।
2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय (छ0ग0) रायपुर को सूचनार्थ।
3. कलेक्टर रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़।
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को सूचनार्थ।
6. सर्व संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला रायगढ़ को सूचनार्थ।
7. कार्यालयीन मुख्य लिपिक/कीड़ा/स्का0 गाईड/परीक्षा/छात्रवृति शाखा को सूचनार्थ।
8. डिपो प्रबंधक नटवर रायगढ़ को सूचनार्थ।
9. संचालक/प्राचार्य डी. ए. व्ही स्कूल छाल वि.ख जिला रायगढ़ को सूचनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
रायगढ़


Principal
D.A.V. Public School
SECL, CHHAL
Distt. Raigarh - 496665


CHAIRMAN
LMC DAV P.S.
S.E.C.L., CHHAL

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक/3752/मान्यता/ 2019-20

रायगढ़ दि.28 /06/2019

अशासकीय शिक्षण संस्थान प्रबंधक वर्ग द्वारा प्रस्तुत आवेदन/शपथ पत्र एवं निरीक्षण समिति अनुशांसा के आधार पर निम्नांकित शिक्षण संस्थाओं को वर्ष 2019-20, इनके नाम के सम्मुख अंकित कक्षाएं संचालित करने हेतु नवीनीकरण अस्थाई विभागीय अनुमति सशर्त प्रदान की जाती है। अशासकीय विद्यालय द्वारा प्रस्तुत बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिए बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उपनियम 4 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र के संदर्भ में एतद् विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत मान्यता दी गई है।

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी प्रकार से कक्षा आठवीं के बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
2. बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 और एनेक्सर 1 ओर बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून एनेक्सर 2 बंधनकारी होगा।
3. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग सुविधा विहीन बच्चों को जिस कक्षा से शुरुआत होता है दर्ज संख्या के 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ण तक निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12.2 के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जावेगी ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
4. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटिसन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे का या इसके माता पिता का या पालकों का स्कीनिंग टेस्ट करेगा।
5. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में साथ ही धर्म जाति या वंश जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को बंधित नहीं करेगा।
विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :-
7. प्रवेशित बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के पूर्णता तक किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। यह विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा।
8. किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रतारणा नहीं दी जावेगी।
9. प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 23 के यथा अनुसार प्रदान किया जावेगा।
10. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
11. कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता /विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश करेगा।
12. शिक्षक कानून के खण्ड 23.1 निर्दिष्ट योग्यताओं के सहीत नियुक्त किये जावेंगे।
13. 5वर्ष के समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यतायें प्राप्त करेंगे।
14. विद्यालय उपयुक्त प्राधिकारण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।
15. शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते उनकी सेवा नियम वा शर्त कानून के 23.3 के उद्देश्य के लिए नियम 18 के उप नियम 1 के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशांशित होगी। विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।
16. विद्यालय कानून के खण्ड 19 विशिष्टकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाये रखेंगे अंतिम निरीक्षण के समय सुविधा निम्नानुसार है।
17. विद्यालय परिषद का क्षेत्रफल/कुल निर्माण का क्षेत्रफल/खेल मैदान का क्षेत्रफल/अध्यापन कक्षाओं की संख्या/पेयजल सुविधा/मध्यान भोजन पकाने हेतु किचन/बांध रहित पहुंध/शिक्षण अधिगम सामग्री/खेलकुद के उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
18. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाएगा।
19. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवासीय उद्देश्यो विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जावेगा।
20. विद्यालय सोसाटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860,19,860 का 21 के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत समयावधि के लिये गठित पब्लिक ट्रस्टि द्वारा संचालित। विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ती